

प्रार्थीगण

1 लालाराम पुत्र तेजाराम  
जाति भील निवासी टुआ  
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रा.पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 40 / 2025

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
15-07-25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/484 दिनांक 16-06-2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम टुआ (तंवरी) में स्थित है। इसमें खाता संख्या 73 खसरा नंबर 80 व 139 किता 2 कुल रकबा 1.0900 है। प्रार्थी का नाम कीका पुत्र तेजाराम न होकर लालाराम पुत्र तेजाराम भील है। मौका फर्द एवं उनके दस्तावेज आधारकार्ड/जनआधारकार्ड/ वोटिंग कार्ड/ राशनकार्ड व विद्युत कनेक्शन देखने पर प्रार्थी का नाम लालाराम पुत्र तेजाराम भील सही नाम है। जिसको सही किया जाना उचित है। उपरोक्त दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि प्रार्थी का नाम लालाराम पुत्र तेजाराम सही है।</p> <p>प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया।</p> <p>सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि <b>प्रार्थी के मौजा ग्राम टुआ पटवार हल्का हालीवाडा भू. अभि. नि. क्षेत्र तंवरी के जमाबंदी संवत 2070-2073 में प्रार्थी का नाम कीका पुत्र तेजा के स्थान पर लालाराम पुत्र तेजाराम संशोधन कर</b> उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें।</p>	



लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)

सिरोही जिला  
(उपलब्ध अधिकारी)  
सिरोही (राज.)